


11  
निगरानी 682-प्र-15

न्यायालय श्रीमान् कस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवामप्र०

निगरानी प्रकरण क्र०

/20 15



श्रीमती रामवती पत्नी हीरा सिंह साकिन टीकर, तह० हुजूर, जिलारीवामप्र०

----- आवेदिका/ निगरानीकर्ता

वनाम

वृजेन्द्र प्रताप सिंह तनय इन्द्रबहादुर सिंह निवासी चिरहुला कालोनीरीवा, तह०

हुजूर, जिलारीवा म०प्र०

----- ग्रं निगराकार/अना०

श्री. राजती प्रा मिश्रा .एड  
द्वारा आज दिनांक 23-2-15 के  
प्रस्तुत किया गया।

निगरानी विरुद्ध आवेश श्रीमान् अनु०

अधि० तह० हुजूर दिनांक 16-2-15

क्रमांक 4785  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पूराजस्व

संविता स 1959ई०

3  
रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट ग्वालियर,  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आवेशविधि एवम प्रक्रिया के विपरीत

है।

2- यहकि विवाह मूिम न० 2277/1से रास्ता कभी नहीं था, और

नहीं है, बल्कि इसी मूिम से लगी हुई आवेदिका को दूसरी मूिम न० 2276से

रास्ता है, जिसकी जांच करायी जा सकती है फिर भी हल्का पटवारी प्राथमिकी की मूिम

राज्यीय एडि / राज्य प्रशासनिक

R. 682- 11/15 सेवा

(20)

26110116

आयुक्त आदेशिका श्री-रजनीश मिश्रा  
की मॉडिफिकेशन का काम है कि प्रकरणों  
को वह आगे नहीं बढ़ाना चाहिए  
है। आदेशिका के निर्देशों का  
संबंध आदेशिका उपस्थित।

2. आदेशिका आयुक्त आदेशिका के मॉडिफिकेशन  
निर्देश पर प्रकरणों आगे नहीं बढ़ाना  
है का निर्देश प्रकरणों को प्रेषित  
करना है।

सदस्य

*m*

*[Handwritten signature]*  
26